न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर- तृतीय, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सं. :– 40/2024
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/195

प्रार्थीगण

1. मिश्रीलाल पुत्र सिमरथाराम
2. लुम्बाराम पुत्र खेताराम
3. भगवानराम पुत्र मोतीराम
4. भाकरराम पुत्र हरलालराम
5. रामरख पुत्र हमीरराम
6. अमराराम पुत्र जोगाराम
   जातियान विश्नोई, निवासीगण राजस्व गांव मतवालों की ढाणी, ग्राम पंचायत बाला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. छोगाराम पुत्र हरलाल
2. ओपाराम पुत्र हरलाल
3. गवरी पत्नी हरलाल
   सभी जातियान विश्नोई, निवासीगण राजस्व गांव मतवालों की ढाणी, ग्राम पंचायत बाला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज. भू–राजस्व अधि. बाबत निरस्त करने इन्द्राज जमाबन्दी खसरा न. 77 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा हाल राजस्व गांव मतवालों की ढाणी (बाला) तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार (प्रार्थीगण) उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री गुलाब सिंह चाम्पावत (अप्रार्थीगण) उपस्थित।

आदेश **दिनांक :–19.06.2025**

अतिरिक्त जिला कलक्टर, (तृतीय) जोधपुर

प्रार्थीगण द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधि. वास्ते मौजा मतवालों की ढाणी के खसरा संख्या 73 सार्वजनिक नाडी को अप्रार्थीगण के नाम इन्द्राज किया गया, को निरस्त करने बाबत पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गुलाब सिंह चाम्पावत द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है कि प्रार्थीगण राजस्व गांव मतवालो की ढाणी, ग्राम पंचायत बाला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर के निवासीगण है। गांव मतवालो की ढाणी में सार्वजनिक नाडी खसरा नं0 73 जो की गाजीनाडा के नाम से जानी जाती है व स्थित है व इसका अंगोर खसरा नं0 74 है जो राजस्व रेकर्ड में भी इसी अनुसार दर्ज है। गत भूप्रबन्ध के समय भी उक्त नाड़ा एवं अंगोर इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज

थे जो पूर्व में खसरा नं० 97 नाडी एवं खसरा नं० 98 व 99 अंगोर दर्ज थे। नाडी खसरा नं0 73 की पाल के चिपते ही राजकीय भूमि खसरा नं0 77 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा स्थित है जो खसरा नं0 98 गैर मुमकिन अंगोर का ही भाग है। उक्त नाडी की पाल के पास खसरा नं0 77 की जो राजकीय भूमि है उस भूमि का उपयोग वर्षों से विश्नोई समाज के लोग शमशान के रूप में काम में लेते है तथा इस पर टांका एवं खेली का निर्माण राजकीय खर्चे से करवाया हुआ है तथा मौके पर आज भी टांका व खेली स्थित है। खसरा नं0 77 व 73 एक दुसरे से चिपते हुए ही स्थित है एवं सड़क के समानान्तर है। खसरा नं0 77 प्रारम्भ से ही राजकीय भूमि रही है तथा इसका कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई आवंटन अथवा नियमन नहीं किया गया तथा न किया जा सकता था क्योंकि भूमि प्रारम्भ से ही शमशान के रूप में काम आ रही है तथा इसके अलावा अन्य कोई शमशान स्थल विश्नोई समाज के लिए नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक व दो ने इस वर्ष खसरा नं0 77 में स्थित टांका व खेली में पानी डालने व उसका उपयोग लेने से लोगो को रोकने का प्रयास किया तथा मांठ तथा कांटे लगाकर आवागमन बाधित करने का प्रयास किया तथा गांव वालो द्वारा समझाने पर नहीं माने एवं बताया कि यह जमीन उनके पिता के खाते में दर्ज है इस कारण वे इस पर काश्त करेंगे एवं भविष्य में टांके खेली व शमशान इत्यादि के रूप में इस जमीन का कोई उपयोग नहीं करने देंगे। प्रार्थीगण ने इस बारे में पता करने का प्रयास किया तो उन्हे किसी आवंटन आदेश के सम्बन्ध में कोई रेकर्ड नहीं मिला तब प्रार्थीगण ने सम्वतः 2011 से आगामी वर्षों की जमाबन्दीया प्राप्त की ज्ञात हुआ की उक्त खसरा नं0 77 सम्वतः 2011 से 2014, 2022 से 2025, 2030 से 2033 तक राजकीय खाते में दर्ज रही परन्तु अकस्मात सम्वतः 2034 से 2037 की जमाबन्दीयों में अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता हरलाल पुत्र सुरा के नाम इन्द्राज हो गई। उक्त इन्द्राज किस आधार पर एवं किसके आदेश व किस नामान्तरकरण के तहत किया गया इसका कोई इन्द्राज जमाबन्दी में किया हुआ नहीं है जबकि बिना किसी आदेश अथवा नामान्तरकरण के ऐसा इन्द्राज किया ही नहीं जा सकता था। राजस्व रेकर्ड के उक्त इन्द्राज से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पिता हरलाल ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर बिना किसी आदेश अथवा नामान्तरकरण के आधारहीन इन्द्राज जमाबन्दी सम्वतः 2034 से 2037 में करवा लिये है एवं इन इन्द्राजो के आधार पर स्वयं को खातेदार बताने का प्रयास किया है। प्रार्थना पत्र के अन्त में जमाबन्दी सम्वतः 2034 से 2037 में हुए अनाधिकृत इन्द्राज हरलाल पुत्र सुरा के नाम किये हुए है, के इन्द्राज को निरस्त कर भूमि पुनः राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश देने हेतु पत्रावली राजस्व मण्डल को प्रेषित करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न निम्नलिखित दस्तावेज पेश किए :–

- मौजा बाला का नक्शा किस्तवार की प्रमाणित प्रति
- जमाबन्दी संवत 2011–2014 की प्रमाणित प्रति
- जमाबन्दी संवत 2043–2046 की प्रमाणित प्रति
- जमाबन्दी संवत 2038–2041 की प्रमाणित प्रति
- जमाबन्दी संवत 2034–2036 की प्रमाणित प्रति
- जमाबन्दी संवत 2030–2033 की प्रमाणित प्रति

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रारम्भिक आपतियां व रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का प्रतिउत्तर पेश किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्नानुसार है कि प्रार्थीगण ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में नियमन का हवाला नहीं दिया तथा म्युटेशन संख्या व म्युटेशन किस तारीख को स्वीकृत हुआ उसका कोई उल्लेख उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। इस कारण उक्त कानूनी बिन्दू के आधार पर रेफरेन्स

प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर करीब 50 वर्षों से कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा प्रार्थीगण स्वयं ने उक्त विवादित भूमि नियमन करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र आज दिन तक पेश नही किया है। नियमन को निरस्त करने सम्बन्धी कोई उजरदारी सक्षम न्यायालय में नहीं की गई है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने सक्षम न्यायालय में कोई दावा आज दिन तक पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण को उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश करने को कोई लोकोस्टाई नहीं है तथा न ही प्रार्थीगण एग्रीवर्ड प्रश्न है। इस कारण उक्त कानूनी बिन्दू के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। विवादित भूमि का अप्रार्थीगण के पिता हरलाल के नाम नियमन हुआ है तथा उक्त नियमन सन् 1974 में हुआ है। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त विवादित भूमि का रेफरेन्स नहीं करके सक्षम न्यायालय में नियम 14 (4) आवंटन रूल्स के तहत प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में पेश कर उक्त नियमंन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही करनी चाहिए थी, नियमन आदेश को रेफरेन्स प्रक्रिया में निरस्त नही किया जा सकता। इस कारण भी रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य है। उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पूर्णतया म्याद बाहर पेश किया गया है। उक्त नियमन सन् 1974 में किया गया था तथा उक्त नियमन होने के बाद करीब 44 साल के बाद उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 77 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा सरकारी भूमि थी तथा हरलाल का पुराना कब्जा मानते हुए अप्रार्थी के पिता हरलाल को माफिक आदेश नम्बर 205 दिनांक 27.4.1974 को नियमन किया गया है तथा उक्त नियमन के आधार पर म्युटेशन संख्या 128 नायब तहसीलदार, बिलाड़ा के द्वारा दिनांक 18.2.1975 को स्वीकृत किया गया है। उक्त म्युटेशन के आधार पर जमाबंदी सम्वत् 2034 से 2037 में हरलाल के नाम खातेदारी दर्ज की है। उक्त सारे राजस्व रेकर्ड को नजर अन्दाज करते हुए. प्रार्थीगण ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा कानूनन नियमन आदेश को निरस्त करने के सम्बन्ध में रेफरेन्स सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस कारण भी प्रार्थीगण के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। अप्रार्थीगण व उसके पिता हरलाल उक्त भूमि के रेवेन्यू रेकर्ड जमाबंदी में करीब 40 साल से खातेदार दर्ज चले आ रहे है तथा उक्त भूमि पर नियमन होने से पूर्व तथा बाद में कब्जा व काश्त अप्रार्थीगण के पिता अप्रार्थीगण का रहा है। उक्त भूमि का नियमन होने के बाद आज दिन तक लगान अप्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थीगण ने ही अदा किया है, कानून का तय सुदा सिद्धान्त है कि खातेदारी भूमि के इन्द्राज को रेफरेन्स प्रक्रिया के तहत निरस्त नही किया जा सकता। इस कारण भी रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य है। खसरा नम्बर 77 में पानी पीने का टांका व खेली में पानी डालने के लिए व उसका उपयोग करने के लिए अप्रार्थीगण ने ही निर्माण करवाया है तथा उक्त टांका के पानी व खेली का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है। अप्रार्थीगण ने आज दिन तक कोई रोक टोक नहीं की है। उक्त सारे तथ्य प्रार्थीगण ने मनगढन्त व झूठे उल्लेखित किये है। इस कारण भी रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थीगण ने अपने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया है कि उक्त भूमि का नियमन नहीं हुआ तथा कोई राजस्व रेकर्ड नियमन संबंधी उपलब्ध नहीं है। उक्त सारे तथ्य प्रार्थीगण ने रेवेन्यू रेकर्ड के विपरित दर्शाये है जबकि उक्त भूमि का नियमन अप्रार्थीगण को हुआ है तथा म्युटेशन भी उनके नाम स्वीकृत हुआ है तथा म्युटेशन की परत के पीछे खसरा नम्बर 77 का कब्जा सौपने संबंधी नक्शा का उल्लेख किया है तथा उक्त भूमि सड़क के समीप बताई गई है। उक्त भूमि सड़क के समीप होने के कारण प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से आपसी रंजिश रखते हुए उक्त भूमि की खातेदारी इन्द्राज को बिना किसी कानूनी वजह से खारिज करवाना चाहते है। इस कारण भी रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। उक्त भूमि शमशान के उपयोग में

कभी भी नहीं आई है तथा उक्त भूमि हरलाल को नियमन हुई है तथा अप्रार्थीगण व उसके परिवार का आज दिन तक लगातार कब्जा व काश्त रहा है विवादित भूमि की किस्म कभी भी शमशान भूमि नहीं रही है तथा उक्त विवादित भूमि रेवेन्यु रेकर्ड में वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन तक आगोर व नाडी दर्ज नहीं रही है। उक्त भूमि की किस्म बारानी प्रथम रही है तथा हरलाल का पुराना कब्जा व काश्त मानते हुए उक्त भूमि नियमन की गई है। अपने जवाब प्रार्थना पत्र के अन्त में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी यथावत रखने तथा प्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न निम्नलिखित दस्तावेज पेश किए गए :–

- ग्राम बाला, तहसील बिलाड़ा के खसरा संख्या 77 का अप्रार्थीगण के हक में नामान्तरकरण की प्रति
- खसरा गिरदावरी संवत 2071 से 2074 तक की प्रति
- जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 की जमाबन्दी की प्रति
- खसरा न. 77 का नक्शा किश्तवार की प्रति
- नामा. स. 356 ग्राम मतवालों की ढाणी की प्रति
- जमाबन्दी संवत 2019 से 2021 की प्रति
- जमाबन्दी संवत 2035–2036, 2038–2041, 2043–46 तथा 2047–50 की प्रति

उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण में अपनी बहस प्रस्तुत की गई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा अपनी बहस के दौरान मुख्यतः उनके प्रार्थना पत्र में वर्णित उपरोक्त लिखित तथ्यों को ही दोहराया गया। हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों व मूल अभिलेख का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मुख्यतः अप्रार्थीगण का नाम ग्राम बाला की जमाबन्दी में बिना किसी आदेश के इन्द्राज होने के संबध में पेश किया गया है। जबकि अप्रार्थी द्वारा इस तथ्य का विरोध करते हुए बताया गया कि अप्रार्थीपक्ष के पूर्वज हरलाल को यह भूमि आदेश क्रमांक 205 दिनांक 27.04.1974 के द्वारा नियमन के तहत प्राप्त हुई है जिस आधार पर ही तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत कर यह भूमि अप्रार्थीपक्ष के पूर्वज हरलाल के नाम इन्द्राज की गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों से भी इनके इस कथन को बल मिलता है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया गया कि अप्रार्थीपक्ष के पूर्वज हरलाल का इन्द्राज वर्ष 1977 की जमाबन्दी में हुआ। वर्ष 1977 के इन्द्राज के बाद यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र लगभग 40 वर्ष बाद पेश किया गया। यद्यपि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कोई म्याद अवधि निर्धारित नहीं है। परन्तु माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 185/2001 तारा वगैरा बनाम राज. सरकार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 अनुसार **"भूमि का रेफरेन्स दायर करने के लिए राज. भू–राजस्व अधि. की धारा 82 एवं राज. काश्तकारी अधि. की धारा 232 में समय सीमा निर्धारित नहीं है, फिर भी रेफरेन्स उचित समय सीमा में ही दायर किया जाना चाहिए।"** अप्रार्थीपक्ष द्वारा वर्ष 1989, वर्ष 1996 आदि की भूमि के लगान की रसीदों की प्रति प्रस्तुत की गई है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण नियमन के बाद से विवादग्रस्त भूमि पर काबिज है। परन्तु फिर भी प्रार्थीपक्ष द्वारा यह रेफरेन्स 40 वर्ष की देरी से प्रस्तुत किया जिसकी देरी हेतु कोई भी उचित कारण नहीं दर्शाया गया है। अतः यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र म्याद की अवधि से अत्यन्त ही बाहर प्रस्तुत हुआ है।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सं. :– 40 / 2024
जीसीएमएस नम्बर :– 2024 / 195

अतः इस स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर, सारहीन व बलहीन होने से प्रकरण रेफरेन्स योग्य नहीं बनता है। परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। अन्य समस्त लम्बित प्रार्थना पत्र भी इसी आदेश के साथ निस्तारित किए जाते है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
तृतीय–जोधपुर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (तृतीय)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 19.06.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जोधपुर

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
तृतीय–जोधपुर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (तृतीय)
जोधपुर